भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1730
उत्तर देने की तारीख 10 दिसंबर, 2025

डाक विभाग में राजस्व की कमी पर समीक्षा बैठक

1730. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में डाक विभाग में राजस्व की कमी के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व की कमी के स्रोतों और पैमाने के संबंध में उजागर किए गए प्रमुख निष्कर्षों और मुख्य चिंताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) डाक सेवाओं, वित्तीय सेवाओं तथा पार्सल एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों सहित डाक कार्यों में राजस्व की कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार/डाक विभाग का इस प्रकार की कमी रोकने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित निगरानी प्रणालियां, उन्नत लेखापरीक्षा तंत्र या परिचालन प्रक्रियाओं में सुधार लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम/उठाए गए हैं/उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने डाक विभाग में सुधारात्मक उपायों को लागू करने और राजस्व दक्षता में सुधार के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) जी, हां। माननीय संचार राज्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक सहित विभिन्न स्तरों पर कई बैठकें आयोजित की गई हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर, विभिन्न सेवाओं में प्रचालनगत तथा धोखाधड़ी संबंधी जोखिमों की पहचान की गई है। मोटे तौर पर ये, डाक-शुल्क की वसूली में कमी, एक बार इस्तेमाल किए जा चुके/जाली डाक-टिकटों का इस्तेमाल, प्रि-पेड डाक वस्तुओं के मामले में डाक-शुल्क न लिया जाना या कम लिया जाना, पंजीकृत समाचार पत्रों संबंधी शर्तों का उल्लंघन आदि हैं।

(ग) राजस्व के किसी भी संभावित लीकेज को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

i. डाकघरों को, मेल और पार्सलों की बुकिंग की मात्रा तथा वित्तीय सेवाओं के राजस्व लीकेज संबंधी जोखिम मूल्याकंन के आधार पर, पर्यवेक्षण हेतु वर्गीकृत किया गया है।
ii. धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए, चिह्नित की गई कार्यपद्धतियों का विश्लेषण करके निवारणात्मक प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं।
iii. चेतावनी आधारित जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है।

(घ) जी, हां। विभाग किसी भी संभावित हानि को रोकने और निर्धारित प्रक्रियाओं में विचलन से बचने के लिए प्रौद्योगिकी तथा डेटा विश्लेषण और ट्रांजेक्शन आधारित अलर्टों का उपयोग, पंजीकृत समाचार पत्र आदि को लाइसेंस प्रदान करने हेतु एंड-टु-एंड ऑनलाइन प्रक्रियाएँ तैयार करते हुए पर्यवेक्षण क्षमता तथा जोखिम प्रबंधन को लगातार सुदृढ़ कर रहा है।

(ङ) सुधारात्मक तथा निवारणात्मक उपायों के माध्यम से पर्यवेक्षण संबंधी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। विभाग द्वारा अपने राजस्व संबंधी कार्य-प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, विशेषज्ञों और उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से निरंतर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
